REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 3 | DECEMBER – 2017

''भील–भिलाला समुदाय में लिंग भेद एवं राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन की महिला सदस्यों की स्थिति का अध्ययन''
(धार जिले के गंधवानी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

जागृति चौहान[1] , डॉ. दीपक कारभारी[2]
[1]पीएच.डी.स्कालर,महू.
[2]शोध निर्देशक बाउस,महू.

प्रस्तावनाः–

हमारे देश में कमजोर एवं वंचित समूहों को संवैधानिक शब्दावली में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। वास्तव में अनुसूचित जनजातिया वस्तुतः भारतीय सामाजिक संरचना में क्रमशः आदिम समुदायों को अभिन्वयन करती है। इन्हें अनुसूचित इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस जाति को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, ताकि समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ पायें।

भारत एक पितृसतात्मक समाज रहा है। जहॉ महिलाओं को पीछे रखा जाता है। तथा उन्हें विकास के लाभों से वंछित रखा जाता है। गिरता हुआ लिंग अनुपात विद्यमान लिंग प्रवृति का प्रतिबिम्ब है। कुछ जिलों में मिलता है। इसी तरह भील एवं भिलाला समुदाय में ''दुल्हन का मूल्य'' जैसी प्रथाएं विद्यमान है। यहॉ पर लड़की के आधार पर राशि ली जाती है। यह राशि लगभग 5000/– से 100000/– तक हो सकती है।

हमारे देश में पुरूषों एवं महिलाओं को जीवित रहने के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त है। समाज में पुरूषों और महिलाओं की लगभग समान संरचना होना अनिवार्य है, तथापि भारत में विशेषता उनकी जनन अवधि के दौरान उच्च मृत्यू दर होने के कारण पुरूषों की जनसंख्या की अपेक्षा काफी कम है।

भारत में लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है। सन् 1901 में 1000 पुरूषों पर 972 महिलाएं थी। सन् 2001 में यह लिंग अनुपात में गिरावट आई। 1000 पृरूषों पर 933 महिलाएं थी। यह गिरावट हमारे लिये चिंता का विषय है क्योंकि यह समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर का प्रभावी सूचक है। जो बाल मृत्युदर जैसे सूचकों पर प्रत्यक्ष और निकटस्थ संबंध रखता है। लिंग भेद भारत की वैश्विक सूचकांको में खराब रैकिंग को प्रदर्शित करता हैं। यूएनडीपी के अनुसार 2014 में 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127 स्थान पर है। सार्क देशों से संबंधित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में सबसे ऊपर है। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांको 2014 में विश्व के 142 देशों की सूची में भारत की स्थिति 114 वें स्थान पर है। यह सूचकांक 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर की जॉच करता हैंः–

1. आर्थिक भागीदारी व अवसर– 134
2. शैक्षिक उपलब्धियॉ–126
3. स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा –141
4. राजनैतिक सशक्तिकरण–151

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग असमानता के क्षेत्र में भारत की खेद जनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बस केवल राजनैतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत के कार्य सराहनीय है लेकिन अन्य सूचकांकों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

वही भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 940 प्रति 1000 पुरूषों पर है। (प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) मध्य प्रदेश में 2001 में लिंगानुपात 919 प्रति 1000 पुरूष थी। जो वर्ष 2011 में 930 महिलाएं प्रति 1000 पुरूषों पर हो गया । जहा 961 महिलाएं प्रति 1000 पुरूष है। 0–6 वर्ष आयु के बच्चों में भारत का लिंगानुपात 919 है। वहीं मध्यप्रदेश का 912 है। महिला साक्षरता 46 प्रतिशत है। मातृ मृत्यू दर 1,00,000 लाख जीवित जन्में प्रति 178 लोगों की मृत्यु।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षारता वाले 5 जिलों में

धार में महिला साक्षरता 60.67 है।

लिंगानुपात की गणना विभिन्न आयु वर्गों, अत्यधिक महत्वपूर्ण आयु 0–6 वर्ष के लिए भी की जाती है। यहॉ प्रतिकूल लिंगानुपात यह दर्शाता है। कि लड़कों की तुलना में लड़किया कम पैदा हो रही है और इस प्रकार यह कन्या भ्रूण के प्रति भेदभाव दर्शाता है। यह गर्भधारण करने, गर्भावधि या प्रसव के दौरान हो सकता है। इस प्रतिकूल (0–6) लिंग अनुपात से यह भी पता चलता है कि सामाजिक कारक जीवित रहने के अवसर निर्धारित कर रहें है। 0–6 वर्ष की आयु में लिंग अनुपात कम होने से चिंता का विषय क्यों है। 0–6 वर्ष की आयु में लिंग अनुपात का गिरना विशेष रूप सें चिंता का विषय है क्योंकि यह इंगित करता है कि जन्म पूर्व लिंग चयन करने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। लिंग चयन करने वाली प्रतिक्रयाए अब सुगमता से उपलब्ध है और जन्म पूर्व चयन करने का यह अनैतिक कार्य वर्तमान स्थिति के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी है।

तथ्य यह बताते है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में भी से 0–6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात काफी कम है। अतः ऐसे राज्यों को आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जिन छः राज्यों में लिंग अनुपात में काफी कमी आई है। वे राज्य आर्थिक दृष्टि से काफी विकसित है। ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित है– चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और पंजाब। आज लिंग का पता लगानें के लिए साधन सुगमता से उपलब्ध है, अतः पुत्र प्राप्ति की लालसा बदलने के लिए समाज का हस्तक्षेप किए बिना यदि लद्यु परिवार बढते है तो कन्याओं के जन्म उनकें जीवित रहने के लिए संभवतः यह स्थिति एक विध्वंसकारी होगी।

अत्यधिक घनी आबादी वाले 10 देशों का लिंगानुपात

क्रमांक	देश का नाम	लिंगानुपात
1	विश्व	990
2	बांग्लादेश	952
3	ब्राजील	1031
4	चीन	943
5	इण्डोनेशिया	1000
6	जापान	1041
7	नाइजिरिया	990
8	पाकिस्तान	952
9	सोवियत संघ	1136
10	अमेरिका	1031

स्त्रोतः– '' विश्व की संभावित जनसंख्या/2002 संशोधन'' संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिविजन यहॉ उद्धृत विश्व की संभावित जनसंख्या रिर्पोट 2002 में भारत का लिंगानुपात 933 दिखाया गया है। इस तालिका में उद्धृत भारत के आकडें नवीनतम भारतीय जनसंख्या के आकडें दर्शाते है।

0–6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात

क्रमांक	राज्य का नाम	लिंगानुपात
1	चण्डीगढ़	845
2	दिल्ली	868
3	गुजरात	883
4	हरियाणा	819
5	पंजाब	798
6	भारत	927

स्त्रोतः– भारत की जनगणना 2001

लिंगानुपात की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की स्थितिः–

भारत एवं मध्यप्रदेश में लिंगानुपात में सन् 1961 से 2011 के बीच में भारी गिरावट हुई है। सबसे तीव्र गिरावट 1981 के बाद तीन दशकों में हुई है जो सोनाग्राफी एवं अन्य गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान तकनीकों की बढी हुई उपलब्धता तथा दुरूपयोग की ओर संकेत करती है। भारत में 2011 की जनगणना हरियाणा (830) पंजाब (846) जम्मू कश्मीर (859) राज्यो में सबसे कम पाया गया है। 2001 से 2011 के बीच मध्यप्रदेश में लिंगानुपात के 20 बिन्दुओ मे गिरावट आई है। राज्य में शिशु लिंगानुपात 932 से गिरकर प्रति 1000 लड़को 912 लड़किया हो गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। प्रदेश के अधिकांश आदिवासी बहुल जिलों में शिशु लिंगानुपात में 2001 के तुलना में भारी गिरावट आई है। 2010 से 2011 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आकडों के अनुसार मध्यप्रदेश के मात्र 09 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात सामान्य है। बाकी 41 जिलों में जन्म समय लिंगानुपात सामान्य से कम है जो प्रदेश में सोनोग्राफी तथा गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी को दुरूपयोग

दर्शाता है। प्रदेश के 22 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से कम है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं एवं बालकों के प्रति भेदभाव दोषपूर्ण व्यवस्था की विद्यमानता को अब भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। लिंग आधारित समानता स्थापित करने के लिए बनाई गई एवं कार्यान्वित की गई। अनेक नीतियों एवं स्कीमों के बावजूद महिलाओं एवं बालिकाओ के विरूद्ध जारी है। अभी ऐसे अनेक कानून विद्यामान है जो महिलाओं के साथ न्याय नहीं करते जैसे कुछ राज्यों में भूमि का क्रय वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं भू–स्वामी हो और कृषक महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। वे अपने पास संसाधन होते हुए भी खेती योग्य भूमि का कुछ नहीं कर सकती है। विधि आयोग का मानना है कि पारिवारिक संपति के बटवारे में हिन्दू संयुक्त परिवार एक विधि ईकाई के रूप में महिला के विरूद्ध भेदभाव की नीति अपनाने वाला प्रावधान है इसलिए इसे ही समाप्त किया जाना चाहिए।

लिंग भेद के कारण एवं प्रकारः–

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार '' पितृ सतात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रकिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।'' महिलाओं को शोषण भारतीय समाज की सदियों से चली आ रही पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या अन्य किसी धर्म से ही क्यों ना हो, से प्राप्त की है।

हमारे समाज में लिंग भेद की दूर्भाग्य पूर्ण बात भी महिलाऐं ही है, प्रचलित सामाजिक सास्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होंने पुरूषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है और वो भी इस समान पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंग है। महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाऐं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृत्ति का कार्य करने, प्रवासी मजदुरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर होती है। यह लिंग के आधार पर लिंग भेद का प्रमुख रूप बन गया है।

लड़की को बचपन से ही शिक्षित करना एक बुरा निवेश माना जाता है। क्योंकि एक दिन उसकी भी शादी होगी, उसे पिता का घर छोडकर दूसरें के घर जाना पडेगा इसलिए अच्छी शिक्षा के आभाव में वर्तमान में नौकरियों में कौशल मांग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती है। वही प्रत्येक साल लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि माता–पिता 12वी के बाद लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा खर्चा नहीं करते है जिससे वह नौकरी करने में पिछड़ जाती है।

सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं परिवार, खाने की आदतों के मामले में ही वह लड़का ही होता है। जिसे सभी प्रकार का पोष्टिक व स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है जबकि लड़कियों को खाने को मिलती है जो परिवार के पुरूषों के खाना खाने के बाद बचा देते है जो दोनों ही रूपों में गुणवत्ता और पौष्टिकता में बहुत ही घटिया किस्म का होता है। यही बाद में उसकी खराब सहेत का प्रमुख कारण बनता हैं। महिलाओं में रक्त की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया और बच्चों को जन्म देनें के समय होने वाली परेशानियों का प्रमुख घटिया खाना होता है जो इन्हें अपने पिता के घर और ससुराल दोनों जगह मिलता हैं इसके साथ ही असहाय काम का बोझ जिसे वह बचपन से ढोती आ रही है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव के साथ घर, समाज एवं घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति

वे आदिम जातियां जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है, अनुसूचित जनजाति कहलाती है। अंग्रेजी का ट्राइब शब्द लैटिन शषा के ट्राइब्स से बना है। जिसका अर्थ है– समाज के विभिन्न हिस्सें या भाग। यूरोप और अफ्रीका में इस शब्द कें स्थान पर ऐसे समुदाय के लिए देशज या देशी लोग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट पोकल ऑफ इण्डिया (1998) में प्रो0 के.एस. सिंह ने भारत में 461 जनजातीय समुदायों की खोज की है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 8.02 प्रतिशत भाग (84.32 मिलियन) अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्राप्त है।

ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के दौरान सर्वप्रथम 1874 में अंग्रेजो ने अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम पारित किया तथा इन क्षेत्रों में अपनाया। इसी समय जनजाति संबधी सामाजिक श्रेणी की अवधारणा का उदय हुआ। इसका उददेश्य इन समूहों को हिन्दू जातियों, मुस्लिमों, ईसाइयों एवं अन्य समुदायों से पृथक रखना था। 1919 के अधिनियम में इन आदिम जातियों को अनुसूचित कर दिया गया। 1950 में इन समुहों की संख्या 212 थी जो 1971 में 527 तक जा पहुची। संवैधानिक सुविधाओं के लालच में आज अनैक समुदाय एवं जातिया अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए आदोंलनरत है। राजस्थान का गुर्जर आन्दोलन ज्वलंत उदाहरण है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जाति, समूह या उनके भाग अभिप्रेत है। जिन्हें इस संविधान के प्रयोजक के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति समझा जाता है।

अनुच्छेद 342 के अनुसार –''राष्ट्रपति किसी प्रदेश या केन्द्रेशासित क्षेत्र के संबंध में वहॉ के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियां या समूहों का विनिर्दिष्टि कर सकेगा। जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस प्रदेश या केन्द्रशासित क्षेत्र के संबध में अनुसूचित समझा जाएगा।''

इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि – (1) अनुसूचित जनजातियो की सूची राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश स्तर पर तैयार होती है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। (2) किन जातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जायें, यह निर्णय राज्यों

के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अनुछेच्द 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए पॉच विशेषताओं (शर्तो) का होना आवश्यक है–

1. आदिम लक्ष्य
2. विशिष्ट संस्कृति
3. भौंगोलिक पृथक्करण
4. दूसरें समुदायों से संपर्क में संकोच
5. पिछड़ापन

जन जातीय समाज के विशिष्ट लक्षण एवं संस्कृति

आदिम या वन्य जातियों का सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन विशिष्टता लिए होता है। इनकी सामुदायिक अन्तः क्रियाएं सामूहिकतावादी संबंध पर आधारित होती है। जनजातियों में गैर– बराबरी (संस्तरण) का कोई स्थान नहीं होता। इनमें जातीय प्रणाली के विपरीत समतावादी सामाजिक ढॉचा विद्यमान है। जनजातियों का अपना पृथक धर्म होता है। यद्यपि प्रो0 सदाशिव घुरिये इन्हें पिछडे हिन्दू मानते है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि सें इनकी धार्मिक रीतियां एवं क्रियाकलाप हिन्दू धर्म से भिन्न होंते है।

एथनिसिटी जनजातियों की विशिष्ट पहचान है। प्रो0 के.एस. सिंह ने जनजातियों की व्याख्या एथनिसिटी अर्थात इनके जैविकी–सांस्कृतिक संदर्भ में की है। इसके अन्तर्गत इनके वैविध्यपूर्ण धार्मिक क्रियाएं, खानपान, पहनावा, आभूषण, उत्सव–त्योहार, पारिवारिक एवं वैवाहिक संस्थाए, रीति–रिवाज शामिल किये जाते है। भारतीय जनजातियों में प्रायः सभी प्रजातियों का मिश्रण देखा जा सकता है। जैसे– प्रोटो आस्ट्रेलाइड, मैगालॉइड एवं नीग्रिटो। मोटेतौर पर जनजातियों में एकता एवं प्रगति की राह को प्रोत्साहित किया है। फलस्वरूप वे समाज की मुख्य धारा में सात्मीकृत होती जा रही है।

जनजातीय अध्ययन

समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्री अध्ययन परम्परा में आदिम जातियों में ब्रिटिश काल से ही अनके अनुभाविक अध्ययन हुए है। अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर हमें प्रारंभिक मानव समाज के बारे में न केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। अपितु उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील हुए है। वेरियर एल्विन ने बैगा, भारिया, शरतचन्द्र राय ने मुंडा, ओसियॉ, बिरहोर, खारिया, सुज्जित सिन्हा ने भुमिज, धीरेन्द्र मजुमदार ने खासा, श्यामचरण दूबे ने कुमार प्रसाद विद्यार्थी में मांझी, गोविन्द सदाशिव घुरिये ने कोली, रॉय वर्मन ने भोट, गुहा ने अबोर जनजाति का अनुभविक अध्ययन किया।

शोधकर्ताओं और अध्येताओं ने जनजातियो की समस्याओं के समाधान एवं इनकी जातियों की समस्याओं के समाधान एवं इनके विकास के उपायों के लिए कई उपागमों का सुझाव दिया। सरकारी एवं गैर– सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास किये गये है। जनजातियों पर अपनाई एवं सुझाई गई कुछ नीतिया इस प्रकार है–

- पृथक्करण की नीति– ब्रिटिश सरकार
- नेशनल पार्क पॉलिसी–वेरियर एल्विन
- एकीकरण का सिद्धन्त–स्वतंत्र भारतीय नीति (नेहरू) शरतचन्द्र रॉय
- सात्मीकरण की नीति (मेल्टिग पोस्ट थ्योरी)– गोविन्द सदाशिव घुरिये

जन जातिय आन्दोलन

आदिम समाज अधिकांश आधुनिक प्रगतिशील समाज से दूर रहा है। दूरस्थ बसाहट एवं निवास के कारण जनजातियों में अनेक अभावजनय समस्याऐ उत्पन्न हुई, जैसे–अशिक्षा, गरीबी–बेरोजगारी, रूढ़िवादिता, महामारियॉ, प्राकृतिक आपदाएं आदि। दूसरी ओर जैसे ही आदिम जातियॉ सभ्य समाज के सम्पर्क में आई तो पारस्परिक संसंर्ग के परिणामस्वरूप भी अनेक व्याधियॉ पैदा हुई। जैसे–बंधुआ एवं बलात् श्रम, शोषण, ऋणग्रसता वैश्यावृत्ति, मादक पदार्थो का व्यसन, प्रवजन या प्रवास, विस्थापन, सांस्कृतिक श्रम इत्यादि।

भील–भीलाला समुदाय में लिंग भेद की स्थिति

तालिका क्र. 1

बच्चों की स्थिति

क्रमांक	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	लड़का	35	58
2	लड़की	25	42
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि भील एवं भीलाला समाज में भी लिंग भेद की स्थिति विद्यमान है। लड़का एवं लड़की के बीच भेंदभाव किया जाता है। इस समाज में भी लड़को को पाने की आकांक्षा 58 प्रतिशत लोगों में देखी गई है जो कि सर्वाधिक है। इसका मुख्य कारण वंशवृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति को भाग्य से जोड़ना आदि। लड़की को पाने की इच्छा मात्र 42 प्रतिशत जो की बेटा–बेटी को समान समझते है।

तालिका क्र. 2
महिलाओं में नसबंदी की स्थितिः–

क्रमांक	महिलाओं में नसबंदी की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	लड़का	40	67
2	लड़की	20	33
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि भील एवं भीलाला समाज की महिलाओं द्वारा भी लड़के के जन्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, 4 से 5 लड़कियों के पश्चात् लड़के के जन्म को विशेष महत्व दिया जाता है और लड़का होने के पश्चात् ही महिलाओं का आपरेशन करवाया जाता है ऐसा मानने वालों का प्रतिशत 67 है जो कि सर्वाधिक है। वह इसलिए क्योंकि उनके ऐसा सोचना है कि लड़किया तो पराया धन है और वह ससुराल चली जाती है और लड़के ही बुढापे का सहारा होते है। वंही लड़की के जन्म के पश्चात महिलाओं में ऑपरेशन की स्थिति 33 प्रतिशत है जो कि कम है।

तालिका क्र. 3
लड़के की बीमारी पर उपचार हेतु अपनाया गया तरीका

क्रमांक	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	लड़का	45	58
2	लड़की	25	42
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि भील एवं भीलाला समाज में लड़का और लड़की दोनो के बीमार होने पर लड़के के उपचार को प्राथमिकता दी जाती है, इनका प्रतिशत 58 है जो कि सर्वाधिक है एवं लड़की के बीमार होने के पश्चात उपचार 42 प्रतिशत है, जो कि न्यूनतम है।

तालिका क्र. 4
लड़के की जिद् पर सामान दिलाने की स्थिति

क्रमांक	विवरण	गणना	प्रतिशत
1	हॉ	50	84
2	नहीं	10	16
	कुल योग	60	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि लड़के के द्वारा जिद्द करने पर सामान दिलवाने वाले माता–पिता का प्रतिशत 84 प्रतिशत है। जो कि सर्वाधिक है एवं लडके के जिदद को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऐंसे मानने वादे का प्रतिशत मात्र 16 है।

तालिका क्र. 5
लड़कियों की इच्छा को प्राथमिकता देने की समाज की स्थिति का अकलन

क्रमांक	विवरण	गणना	प्रतिशत
1	हॉ	10	16
2	नहीं	50	84
	कुल योग	60	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि लड़की के द्वारा जिद्द करने पर सामान दिलवाने वाले माता–पिता का प्रतिशत 16 प्रतिशत है। जो कि सर्वाधिक है एवं लड़की के जिदद को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ऐंसे मानने वाले का प्रतिशत मात्र 84 है। लड़कियों की इच्छाओं कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

तालिका क्र. 6

लड़के और लड़की को पढाने की स्थिति

क्रमांक	शिक्षा का स्तर	लड़का		लड़की	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	10	17	38	60
2	माध्यमिक	5	8	10	17
3	हाई स्कूल	10	17	2	6
4	हायर सेकेण्डरी	35	58	10	17
	कुल योग	60	100	60	100

लड़के और लड़की को पढ़ाने की स्थिति

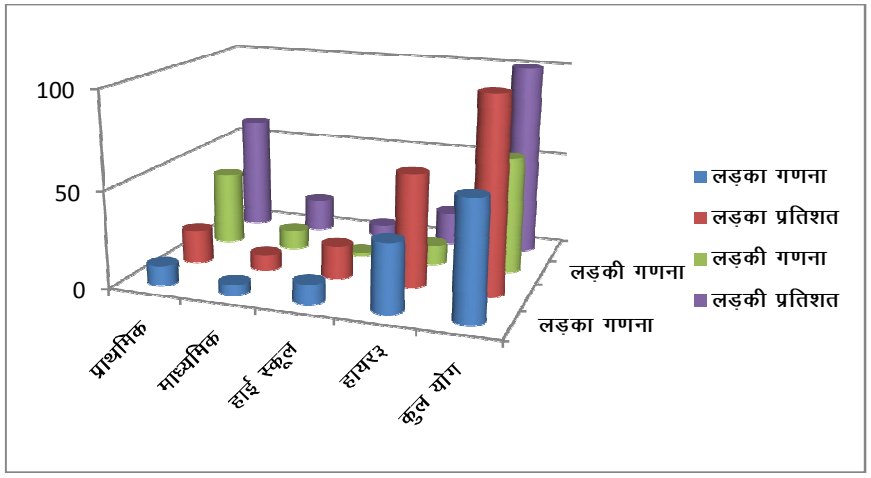

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास की लड़का एवं लड़की में से किसको पढाने का महत्व दिया जाता है एवं हायर सेकेण्डरी तक लड़को के शिक्षा 58 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। वही लड़कियों को पराया धन समझ कर प्राथमिक स्तर तक पढाने वालों का प्रतिशत 52 है। क्योंकि लड़कियॉ शादी करके दूसरें घर चली जायेंगी और लड़के अपने वंश को बढाने के साथ ही नौकरी कर घर की देखभाल भी करगें।

पारम्परिक परिदृश्य में पुत्र एवं पुत्री की सामाजिक स्थितिः–

तालिका क्र. 7
पुत्र का पिता के साथ मदिरा सेवन की स्थिति

क्रमांक	पिता के साथ मदिरा सेवन की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	प्रतिदिन	42	70
2	त्यौहार पर	13	21
3	कभी–कभी	3	5
4	अन्य	2	3
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शोधकर्ता के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि लडको द्वारा पिताजी के साथ मदिरापान प्रतिदिन 70 प्रतिशत किया जाता है। भील एवं भीलाला समाज में महुए की शराब को स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मानी जाती है। इसलिए पिता अपने लड़को को खुद मदिरापान के लिए प्रेरित कर पिलाते है।

ग्राम सभा में महिलाओं की स्थिति–

तालिका क्र. 8
ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति

		पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
क्रमाक	विवरण	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	13	41	22	68
2	नहीं	47	19	78	32
	कुल योग	60	60	100	100

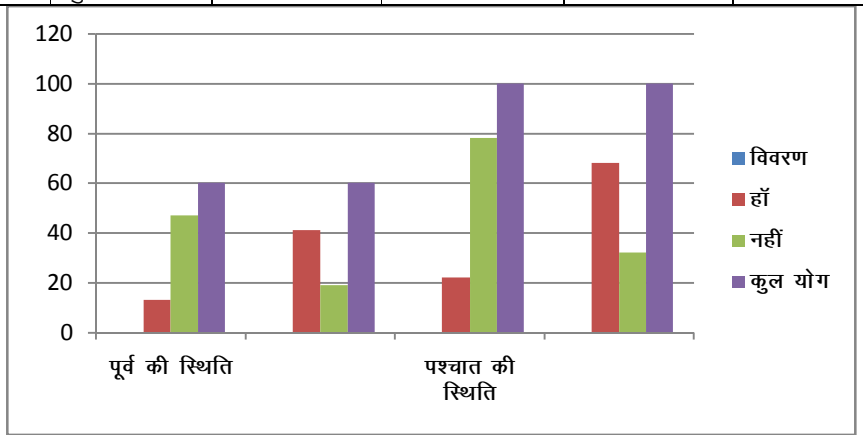

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गॉव में जब ग्राम सभा होती है तो आरजीएम परियोजना प्रारंभ के पूर्व ग्राम सभा में महिलाओं की स्थिति 41 प्रतिशत थी। क्योंकि महिलाओं को ग्राम सभा में जाने के बारे में जानकारी नहीं दी साथ ही लज्जा और हिचकिचाहट के कारण ग्राम सभा में नहीं जाती थी। राजीव गॉधी जलग्रहण मिशन आने के पश्चात ग्राम सभा में महिलाओ की उपस्थित में वृद्धि हुई है। इनका प्रतिशत 68 है जो कि सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट है कि मिशन आने पश्चात महिलाओं में ग्राम सभा के प्रति जागरूकता आई है।

तालिका क्र. 9
क्या घर के कार्यो में आपकी सलाह का महत्व

		पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	8	13	46	77
2	नहीं	52	87	14	23
	कुल योग	60	100	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि शोधार्थी के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि घर के महत्वपूर्ण कार्यो में अर्थात वित्तीय मामलों में महिलाओं के निर्णय को या सलाह को महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसा मानने वालों का प्रतिशत 87 है जो कि सर्वाधिक है। वही परियोजना आने के पश्चात महिलाओं की सलाह को महत्व दिया जाने लगा एवं इनका प्रतिशत 77 है जो कि सर्वाधिक है। परियोजना आने के बाद महिलाए समूह के माध्यम से विचार विमर्श कर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगी। इससे परिवार में उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सलाह को परिवार में महत्व दिया जाने लगा है।

शासकीय योजनाओ की बैठक में महिलाओं की उपस्थितिः–
तालिका क्र. 10

कमांक	विवरण	पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं की इच्छा सें	6	10	48	80
2	पति के कहने पर	34	57	6	10
3	अन्य महिलाओं को देखकर	20	33	6	10
	कुल	60	100	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि शासकीय योजनाओं की बैठकों में महिलाओ की उपस्थिति परियोजना के पूर्व में पति के कहने पर 57 प्रतिशत ही थी। क्योकि पति का दबाव और उसकी सोच थी की शासकीय योजनाओं की जानकारी के लिए पति को उचित लगता था वही वह भेजता था। वही परियोजना के पश्चात स्वयं की इच्छा से शासकीय योजनाओ की बैठक में

महिलाओं की उपस्थिति 80 प्रतिशत जो कि सर्वाधिक है। इसका प्रमुख कारण यह है कि महिलाएँ आत्म निर्भर होकर शासकीय योजनाओं से होने वाले लाभ के बारे में रूचि लेकर जानकारी लेने लगी। और इन योजनाओं से परिवार वालो को लाभ दिलवाने लगी।

तालिका क्र. 11
लडकी के विवाह की उम्र

क्रमांक	लडकी के विवाह की उम्र	संख्या	प्रतिशत
1	18 वर्ष से पहले	42	70
2	18 वर्ष के बाद	18	30
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि लडकी की शादी की उम्र 18 वर्ष से पहले 70 प्रतिशत लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। (शारदा एक्ट के तहत लड़कियो की शादी की उम्र 18 वर्ष है जिसका प्रमुख कारण निरक्षरता एवं कानून के प्रति जागरूकता ना होना व वधू मूल्य लिया जाना है।) वही 18 वर्ष के बाद लडकियों की शादी करने का प्रतिशत 30 है जो कि कम है। इसका मुख्य कारण निरक्षरता एवं विकास ना होना है।

तालिका क्र. 12
घूघंट प्रथा की स्थिति

		पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	56	94	15	25
2	नहीं	4	6	45	75
	कुल	60	100	60	100

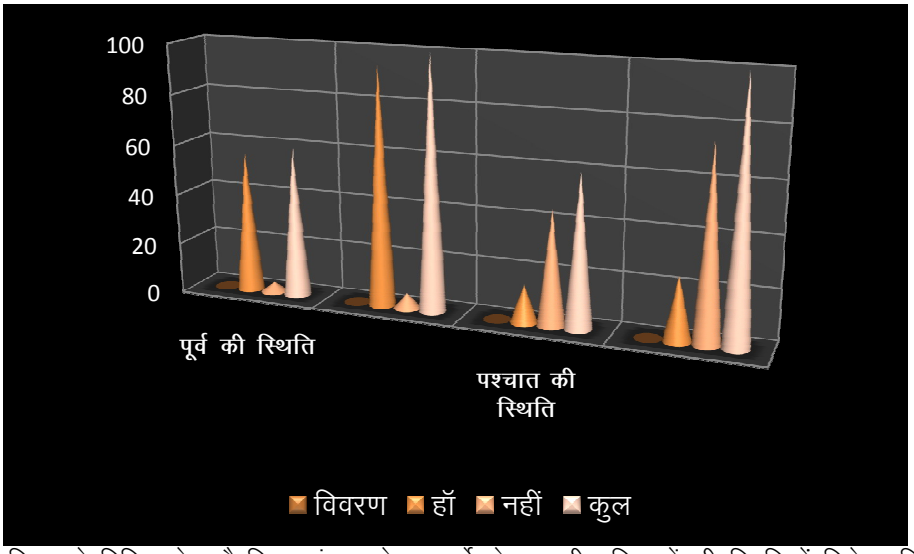

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि स्वतंत्रता के 67 वर्षो के बाद भी महिलाओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। ग्रामीण परिवेश में आज भी घूंघट प्रथा विद्यमान है। जल ग्रहण परियोजना शुरू होने के पूर्व में घूंघट प्रथा विद्यमान थी ऐसा मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 94 है। इसका मुख्य कारण महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली थी एवं खेती बाड़ी के कार्यों में व्यस्थ रहती थी। परियोजना शुरू होने के पश्चात महिलाओं के द्वारा घुघट प्रथा में कमी आई जिसका प्रतिशत 75 है जो कि सर्वाधिक है। जिसका मुख्य कारण जल ग्रहण परियोजना आने पश्चात महिलाएं समूह से जुड़ी और समूह से जुड़ने पश्चात महिलाऐं प्रशिक्षण, बैठक एवं एक्पोजर विजिट के लिए जाने लगी इससे महिलाओं के मन में जो हिचकिचाहट एवं लज्जा थी वह कम होने लगी और उनके द्वारा सक्रिय महिलाओं को देखकर भी प्रेरित हुई एवं स्वयं भी सक्रिय सहभागीता निभाने लगी।

तालिका क्र. 13
महिलाओं के पास वित्तीय अधिकार

		पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
कमांक	**विवरण**	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
	हॉ	12	20	42	75
	नहीं	48	80	18	25
	कुल	60	100	60	100

आज भी पुरूष प्रधान समाज है। इसी कारण महिलाओं के पास जो वित्तीय अधिकार होना चाहिए वह नहीं है। उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि करीब 80 प्रतिशत महिलाओं के पास मकान खेती बाड़ी एवं अन्य सम्पति में उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाता है जिसका प्रमुख कारण यह है कि पुरूषो की सोच है कि महिलाओं के पास मकान खेती बाड़ी एवं अन्य घर के कामों में निपूर्ण होती लेकिन अगर मालिकाना हक दिया जाये जो वह अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभा पायेगी। जल ग्रहण परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात महिलाओं के वित्तीय अधिकारों में बढोत्तरी हुई है। पहली बार समूह के माध्यम से महिलाओं के नाम से कुछ पूँजी बचत के रूप में महिलाओं के नाम से उनके खाते में जमा होने लगी। एवं इस पूँजी के द्वारा उनका समाज में मान सम्मान होने लगा। ऐसे मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 75 है जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्र. 14
पति द्वारा शराब पीने पर महिलाओं की प्रतिकिया का पूर्व एवं पश्चात कि स्थिति

कमांक	प्रतिकिया का स्वरूप	पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	समझाईश	4	6	37	62
2	महिला द्वारा झगड़ा	11	18	09	15
3	चुपचाप सहन करना	38	61	08	13
4	महिलाओं द्वारा भी शराब सेवन	9	15	06	10
	कुल	60	100	60	100

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन मिशन आने के पुर्व पति द्वार शराब पीने पर महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने पर पाया कि महिलाओं के द्वारा पति के द्वारा मार–पीट करने पर चुपचाप सहन कर लिया जाता था, एसा मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 61 है जो कि सर्वाधिक है इसका मुख्य कारण महिलाओं में आत्म विश्वास की कमी, स्वयं आत्मनिर्भर न होना, पति के सिवाय कहीं ओर आश्रय न होना आदि। परियोजना के पश्चात् पति द्वारा शराब पीकर मार–पीट करने पर अधिकांश महिलाओं के द्वारा समझाईश दी जाती है, एसा मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 62 है, इसका मुख्य कारण महिलाओं में आत्मविश्वास, एक्सपोजर विजिट जाने के पश्चात जब उन्होने घर की चहार दिवारी से बाहर कदम रखा तो सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ और वह पति को शराब पीने से रोक टोक करने लगी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एकजुट होकर भी महिलाओं के द्वारा विरोध किया जाने लगा।

तालिका क्र. 15
कार्य स्थल पर भेदभाव की स्थिति

कमांक	कार्यस्थल पर आपके साथ भेदभाव होता है	पूर्व की स्थिति		पश्चात की स्थिति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	**हॉ**	55	92	39	65
2	**नहीं**	5	8	21	35
	कुल	60	100	60	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परियोजना के पूर्व कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था ऐसा मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 92 है जो कि सर्वाधिक है इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं को कमजोर समझा जाता है एवं वह कम कार्य करेगी, जिस कारण उनको मजदूरी भी कम दी जाती है और वहीं पुरूषों को ज्यादा मजदुरी दी जाती थी, किन्तु परियोजना आने के बाद उनकी सोच में परिवर्तन आया और उनको एहसास हुआ कि महिलाऐं भी कम नहीं है और पुरूषों के बराबर कार्य करती है ऐसा मानने वाली महिलाओं का प्रतिशत 65 है जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्र. 16
भेदभाव का प्रकार

कमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत

1	कम मजदूरी	36	60
2	आधे दिन कार्य	8	13
3	कमजोर समझना	16	17
	कुल योग	60	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है ऐसा 60 में सें 60 प्रतिशत (36) महिलाओं ने कहा है। 13 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हे पूरे दिन काम करने के बदले आधे दिन की ही मजदूरी दी जाती है। 17 प्रतिशत का मानना है कि उन्हे कमजोर माना जाता है। इस प्रकार से समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन होता है।

निष्कर्षः–

1. भील एवं भीलाला समाज में वर्तमान में भी लिंग भेद की स्थिति विद्यमान है। जैसे लड़के के जन्म के पश्चात महिलाओं को ऑपरेशन करवाया जाना।
2. लड़की की बीमारी की तुलना में लड़के की बीमारी पर ज्यादा खर्चा करना।
3. रूढ़िवादी सोच लड़के से वंश चलता है, लडकीयों से नहीं चलता। लड़की शादी के बाद दुसरे घर चली जाती है अंत में लड़का ही सेवा करता है।
4. लड़की की शिक्षा के बजाय लड़के की ही शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लड़कियों को प्राथमिक स्तर तक पढ़ाया जाना जबकि लड़कों को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है कि वे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके ।
5. राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन से जुड़ने के पश्चात महिलाओं मे जागरूकता आयी है और अव वे लड़का–लड़की को समान समझती है। लडकियों को भी पढ़ने के लिये प्रेरित करती है।
6. ग्राम सभा में जाने के लिये भी महिलाओं को अपने पति की सहमति लेना अनिवार्य था, लेकिन आरजीएम से जुड़ने के पश्चात महिलाऐं अपनी स्वेच्छा से ग्राम सभा में जाने लगी है।
7. पुरूष प्रतिदिन शराब पीते है, एवं महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन से जुड़ने के पश्चात महिलाओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जाने लगा ।
8. लड़कियों को सम्पत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके पीछे ये सोच चली आ रही हे कि लड़किया तो पराया धन होती है लेकिन लडकों को सम्पत्ति में पुरा–पुरा अधिकार दिया जाता है।
9. कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को कम मजदुरी दी जाती है। जिसके पीछे यही सोच है कि पुरूषों की तुलना में महिलाओं की कार्य करने की क्षमता कम होती है। लेकिन राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा महिलाओं एवं पुरूषों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्हें समान कार्य समान वेतन की तर्ज पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
10. परियोजना के द्वारा बनाए गए समुहों की महिलाएं लिंग भेद को लेकर काफी संवेदनशील है और वे लड़का–लड़की के बीच अन्तर नहीं समझती है । साथ ही दुसरी महिलाओं को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान समय में महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। लड़कियों को भी पढ़ाया जाने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस सशक्तिकरण की दिशा में आयोजन के 100 वर्ष, सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल, जून–2011
2. सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना रिर्पोट–2011
3. जनसंख्या स्थिरता कोश सक्सेस–2011
4. ग्लोबल कमेनिटिज टू जेण्डर एण्ड वुमेन्स राईट्स इन एक्सेस टू एण्ड कन्ट्रोल ओवर इकॉनामिक्स एण्ड फाइनेंशियल रिर्सोस नेट।
5. प्रसव पूर्व निदान एवं परिक्षण अधिनियम (पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट) 1994 कार्यशाला दिनांक 28.02.2013 श्योपुर।
6. भारत में लिंग असमानता। (नेट 2017)
7. महिलाओं की सुरक्षा पर निबंध। (हिन्दी की दुनिया डॉट कॉम सोशल ईश्यू नेट 2017)
8. जी.आर.मदन (2010) भारत की सामाजिक समस्याएँ, महिला सशक्तिकरण जी.आर.मदन पेज नं. 425–442।